Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies
Vol. 2, Issue-2 (April-June, 2026), pp.223-231, ISSN: 3107-5088, www.cognitivethinking.in

वस्तु एवं सेवा कर: कार्यान्वयन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव

चन्द्र भान
(एम.एल.एम. छात्र), शोध छात्र, विधि विभाग, मोनाड़ विश्वविद्यालय, हापुड़
डॉ. अमित चौधरी
डीन एवं संकाय अध्यक्ष, विधि विभाग), मोनाड स्कूल ऑफ लॉ

Article: Received: 23/05/2026, Returned: 28/05/2026, Accepted: 04/06/2026, Published:06/06/2026.
D.O.I.

© 2026 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

---

1. शोध सार

वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन भारतीय कर इतिहास में सबसे बड़ा संवैधानिक एवं आर्थिक सुधार माना जाता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 I, 269 I एवं 279 I का समावेश कर एक नए संघीय कर ढांचे की नींव रखी गई। यह शोध पत्र GST के संवैधानिक प्रावधानों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके बहुआयामी प्रभावों, कार्यान्वयन में आ रही विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों, और न्यायपालिका के दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मोहित मिनरल्स वाद (2022) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने GST परिषद की सिफारिशों की विधिक प्रकृति पर स्पष्टता प्रदान की है। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यद्यपि GST ने "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया है, किंतु MSMEs पर अनुपालन बोझ, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कमी, तकनीकी बाधाएँ, एवं न्यायिक विवादों की बढ़ती संख्या इसके सफल कार्यान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ हैं। यह पत्र अंत में GST प्रणाली के सुधार हेतु सात व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है, जिनका उद्देश्य भारतीय संघीय ढांचे में कर न्याय एवं आर्थिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करना है।

मुख्य शब्द: वस्तु एवं सेवा कर, 101वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 246 I, अनुच्छेद 279 I, जीएसटी परिषद, मोहित मिनरल्स वाद, संघीय वित्त, कर अनुपालन, कर प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था

2. प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 शोध का परिचय एवं संदर्भ

भारत की कर प्रणाली का ऐतिहासिक विकास स्वतंत्रता.पूर्व काल से ही जटिल एवं बहुस्तरीय रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में प्रवर्तित कर संरचना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक केंद्रीकरण की ओर अग्रसर किया, किंतु स्वतंत्रता.पश्चात संवैधानिक ढांचे ने कर शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया। सातवीं अनुसूची की सूची.I (संघ सूची) एवं सूची-II (राज्य सूची) ने करारोपण की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक खंडित एवं असंगत कर प्रणाली का उदय हुआ।

पारंपरिक कर संरचना की सबसे गंभीर कमियाँ थीं: कर-पर-कर (Cascading Effect) की समस्या, जहाँ एक स्तर पर भुगतान किया गया कर अगले स्तर पर फिर से कर योग्य बन जाता थाय राज्यों के बीच कर असंगति, जिसने अंतर्राज्यीय व्यापार को बाधित कियाय एवं चेकपोस्ट प्रणाली, जिसने लॉजिस्टिक्स लागत को अत्यधिक बढ़ा दिया। इन समस्याओं के समाधान हेतु “एक राष्ट्र, एक कर” की अवधारणा 1990 के दशक से चर्चा में आई, किंतु राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलताओं के कारण इसका कार्यान्वयन 1 जुलाई 2017 तक संभव नहीं हो सका।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन भारतीय कर इतिहास में सबसे बड़ा संवैधानिक एवं आर्थिक सुधार माना जाता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने न केवल कर शक्तियों के वितरण को मौलिक रूप से परिवर्तित किया, बल्कि एक नए संघीय कर ढांचे की नींव भी रखी। यह शोध पत्र GST के संवैधानिक प्रावधानों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके बहुआयामी प्रभावों, कार्यान्वयन में आ रही विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों, और न्यायपालिका के दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.2 शोध प्रश्न

1. क्या 101वें संविधान संशोधन ने भारतीय संघीय कर ढांचे को मजबूत किया या राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर किया हैद
2. GST के कार्यान्वयन में आ रही विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता हैद
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर GST का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहा है या नकारात्मकद
4. न्यायपालिका ने GST विवादों में संघीय संतुलन एवं करदाता अधिकारों की रक्षा कैसे की है?

2.3 शोध के उद्देश्य एवं महत्व

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य हैं: (क) संवैधानिक संशोधनों का विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करनाय (ख) आर्थिक प्रभावों का बहुआयामी मूल्यांकन करनाय (ग) कार्यान्वयन चुनौतियों की पहचान एवं निराकरण के उपाय सुझानाय (घ) न्यायिक निर्णयों के माध्यम से GST विधिविज्ञान का अध्ययन करना।

GST भारत की आर्थिक एवं संवैधानिक यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव है। इसके प्रभावों एवं चुनौतियों का गहन अध्ययन न केवल कानूनी शोध के लिए, बल्कि नीति निर्माण एवं संवैधानिक व्याख्या के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2.4 शोध विधिविज्ञान

यह शोध पत्र विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक विधि का मिश्रित प्रयोग करता है। माध्यमिक स्रोतों में संवैधानिक प्रावधान, GST अधिनियम, न्यायिक निर्णय, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट्स, एवं विधि आयोग की रिपोर्ट्स शामिल हैं। अध्ययन की सीमा यह है कि यह प्राथमिक डेटा (करदाता साक्षात्कार, सर्वेक्षण) पर आधारित नहीं है, किंतु उपलब्ध विधिक एवं आर्थिक साहित्य का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

3. GST का संवैधानिक ढांचा एवं विधिक प्रावधान

3.1 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 — एक विधिक क्रांति

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने भारतीय संविधान के कर ढांचे को मौलिक रूप से परिवर्तित किया। संविधान सभा द्वारा मूल रूप से अपनाई गई सातवीं अनुसूची की कर.शक्ति विभाजन प्रणाली को समाप्त करते हुए, इस संशोधन ने एक नए सहवर्ती कर क्षेत्र (Concurrent Tax Field) का सृजन किया।

इस संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसने केंद्र एवं राज्यों दोनों को वस्तु एवं सेवा करारोपण की शक्ति प्रदान की, जो पूर्व में केवल केंद्र के पास (उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) एवं राज्यों के पास (वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि) विभाजित थी। इस संशोधन ने संघीय सहकारी संवाद (Cooperative Federalism) की एक नई परंपरा स्थापित की, जिसमें केंद्र एवं राज्य मिलकर कर नीति निर्धारित करते हैं।

3.2 अनुच्छेद 246। — केंद्र एवं राज्यों की संवैधानिक कर शक्तियाँ

अनुच्छेद 246A GST के संवैधानिक ढांचे का केंद्रीय स्तंभ है। यह अनुच्छेद संसद एवं राज्य विधानमंडलों दोनों को वस्तु एवं सेवा करारोपण, संग्रहण एवं वितरण की सहवर्ती शक्ति प्रदान करता है।

इस अनुच्छेद की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं: प्रथम, यह अंतर्राज्यीय आपूर्ति (Inter-state Supply) पर करारोपण की शक्ति को संसद के विशेषाधिकार के रूप में स्थापित करता हैय द्वितीय, यह पेट्रोलियम क्रूड, हाईस्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस,

एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहल एवं विद्युत को GST के दायरे से बाहर रखता है। यह अपवाद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्यों की पारंपरिक राजस्व स्रोतों की रक्षा करता है एवं संघीय संतुलन को बनाए रखता है।

3.3 अनुच्छेद 269। — अंतर्राज्यीय व्यापार में GST का संग्रहण एवं वितरण

अनुच्छेद 269। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (ᑊGST) के संग्रहण एवं वितरण तंत्र को विनियमित करता है। इस अनुच्छेद के तहत, ᑊGST का संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, किंतु इसका वितरण केंद्र एवं राज्यों के बीच एक पूर्व.निर्धारित सूत्र के अनुसार होता है।

इसके अतिरिक्त, GST क्षतिपूर्ति उपकर (GST Compensation Cess) का संवैधानिक आधार भी इसी अनुच्छेद में निहित है। यह उपकर राज्यों को GST कार्यान्वयन के प्रारंभिक पाँच वर्षों तक होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु लगाया गया था। 2022 में इस उपकर की अवधि समाप्त होने के बाद, राज्यों की वित्तीय स्थिति एवं केंद्र.राज्य वित्तीय संबंधों पर गंभीर प्रश्न उठे हैं।

3.4 अनुच्छेद 279। — GST परिषद की संवैधानिक स्थिति

अनुच्छेद 279। GST परिषद का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। यह परिषद एक अभूतपूर्व संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में एवं सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

निर्णय प्रक्रिया के संदर्भ में, परिषद के प्रस्ताव को पारित होने के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन.चौथाई बहुमत की आवश्यकता है। मतभार के वितरण के अनुसार, केंद्र सरकार का मतभार एक.तिहाई एवं सभी राज्य सरकारों का संयुक्त मतभार दो.तिहाई है। यह संरचना संघीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है, किंतु व्यावहारिक रूप से केंद्र की निर्णायक भूमिका को सुनिश्चित करती है।

GST परिषद की सिफारिशों की विधिक प्रकृति सबसे अधिक विवादास्पद प्रश्न रही है। क्या ये सिफारिशें केंद्र एवं राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं या केवल मार्गदर्शक (Advisory)? इस प्रश्न का उत्तर मोहित मिनरल्स वाद (2022) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसने स्पष्ट किया कि परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, किंतु उन्हें गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

3.5 GST अधिनियमों का विधिक ढांचा

GST के कार्यान्वयन हेतु चार प्रमुख अधिनियम पारित किए गए:

1. CGST Act, 2017: केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर करारोपण एवं संग्रहण।
2. SGST Act 2017: राज्य सरकारों द्वारा राज्यांतर्गत आपूर्ति पर करारोपण एवं संग्रहण।
3. IGST Act 2017: अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत कर को विनियमित करता है।
4. UTGST Act 2017: केंद्र शासित प्रदेशों में करारोपण को विनियमित करता है।

इन अधिनियमों ने कर प्रशासन को मौलिक रूप से परिवर्तित किया। पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, मूल्यांकन, इनपुट टैक्स क्रेडिट (प्ज्ह), एवं दण्ड प्रावधानों को एक एकीकृत ढांचे के अंतर्गत लाया गया। GST नेटवर्क (GSTN) ने प्रौद्योगिकी.आधारित कर प्रशासन की नींव रखी, जिससे कर अनुपालन को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाया गया।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव: सकारात्मक एवं नकारात्मक

4.1 सकारात्मक प्रभाव

एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार: GST की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने भारत को एक एकीकृत बाजार में परिवर्तित किया है। पूर्व में, प्रत्येक राज्य की अपनी कर नीति, कर दरें एवं अनुपालन प्रक्रियाएँ थीं, जिसने अंतर्राज्यीय व्यापार को जटिल एवं महँगा बना दिया था। GST ने इस खंडित प्रणाली को समाप्त कर एक सुसंगत राष्ट्रीय बाजार का सृजन किया।

कैस्केडिंग इफेक्ट का उन्मूलन: पारंपरिक कर प्रणाली में कर.पर.कर (Cascading Effect) की समस्या अत्यंत गंभीर थी। GST ने इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया। अब प्रत्येक स्तर पर भुगतान किया गया कर अगले स्तर पर क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होता है, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर कर बोझ कम हुआ है।

कर आधार का विस्तार एवं अनुपालन में वृद्धि: GST के कार्यान्वयन के पश्चात, पंजीकृत करदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल प्रणाली एवं डेटा.संचालित अनुपालन ने कर चोरी को कम करने में सहायता प्रदान की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022.23 के अनुसार, GST के तहत मासिक राजस्व संग्रहण में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन में सुधार: राज्य सीमाओं पर चेकपोस्टों की समाप्ति से परिवहन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। पूर्व में, ट्रकों को प्रत्येक राज्य सीमा पर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जिससे समय एवं लागत दोनों की हानि होती थी। GST ने इस बाधा को समाप्त कर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को गति प्रदान की है।

विदेशी निवेश (थ्क्प्) एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: एक सुसंगत एवं पारदर्शी कर प्रणाली ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया है। GST ने "मेक इन इंडिया" एवं "आत्मनिर्भर भारत" की अवधारणाओं को व्यावहारिक आधार प्रदान किया है।

4.2 नकारात्मक प्रभाव एवं चुनौतियाँ (Negative Impacts)

डैडम्) पर अनुपालन बोझ: लघु एवं मध्यम उद्यमों (डैडम्) के लिए GST की अनुपालन प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं व्यय.बहुल साबित हुई है। मासिक/त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना, ई.वे बिल प्रणाली, एवं तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना छोटे व्यवसायों के लिए एक गंभीर चुनौती है। कई डैडम् ने GST के कार्यान्वयन के पश्चात अपने व्यवसाय बंद करने या असंगठित क्षेत्र में लौटने का निर्णय लिया है।

मूल्य स्फीति पर प्रभाव: GST के प्रारंभिक चरण में, कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि सरकार ने 0:, 5:, 12:, 18: एवं 28: की कर दरों के माध्यम से इस प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, किंतु मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर कर बोझ में वृद्धि हुई।

राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कमी: GST के कार्यान्वयन से पूर्व, राज्यों को स्वयं कर दरें निर्धारित करने एवं कर संग्रहण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। GST परिषद की निर्णय प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका सीमित हो गई है, जिसने संघीय वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर किया है। यह मुद्दा विशेष रूप से GST क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति के पश्चात गंभीर हो गया है।

बेरोजगारी एवं असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव: GST के कार्यान्वयन से असंगठित क्षेत्र के कई व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। डिजिटल अनुपालन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ छोटे व्यापारियों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया, जिससे स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी में वृद्धि हुई।

तकनीकी बाधाएँ: GST पोर्टल की अस्थिरता, सर्वर डाउनटाइम, एवं डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ GST प्रणाली की प्रमुख कमजोरियाँ रही हैं। ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन (क्पहपजंस क्पअपकम) ने इन समस्याओं को और अधिक गंभीर बना दिया है।

5. कार्यान्वयन की विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ

5.1 विधिक चुनौतियाँ

संवैधानिक वैधता पर प्रारंभिक चुनौतियाँ: GST के कार्यान्वयन के पश्चात, कई राज्य सरकारों एवं करदाताओं ने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। प्रमुख विवाद केंद्र.राज्य शक्ति संघर्ष, GST परिषद की सिफारिशों की बाध्यकारी प्रकृति, एवं पूर्वप्रभावी (त्मजतवेचमबजपअम) कर संग्रहण की वैधता पर केंद्रित थे।

GST परिषद की सिफारिशों की विधिक प्रकृति: यह सबसे अधिक विवादास्पद प्रश्न रहा है। क्या परिषद की सिफारिशें केंद्र एवं राज्यों के लिए बाध्यकारी हैंध मोहित मिनरल्स वाद (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, किंतु उन्हें गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस निर्णय ने संघीय संतुलन एवं राज्य स्वायत्तता की रक्षा की, किंतु GST प्रणाली की एकरूपता को भी चुनौती दी।

करदाता अधिकारों की सुरक्षा: GST प्रणाली में करदाताओं के अपील अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, एवं पारदर्शिता की गारंटी पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। कई मामलों में, कर अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से मूल्यांकन एवं दण्डादेश जारी किए गए हैं, जिसने करदाता विश्वास को क्षति पहुँचाई है।

5.2 प्रशासनिक चुनौतियाँ

GST N तकनीकी अवसंरचना: GST नेटवर्क (GST छ) एक अत्याधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म है, किंतु इसकी स्थिरता एवं सुरक्षा पर चिंताएँ बनी हुई हैं। सर्वर डाउनटाइम, पोर्टल त्रुटियाँ, एवं डेटा सुरक्षा उल्लंघन के मामले GST प्रणाली की विश्वसनीयता को चुनौती देते हैं।

कर अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: GST एक नई कर प्रणाली है, जिसके लिए कर अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किंतु, व्यावहारिक रूप में, कई अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे कर मूल्यांकन एवं अनुपालन प्रक्रिया में त्रुटियाँ हुई हैं।

वस्तु वर्गीकरण (HSN Code) में भ्रम: हरमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड के अंतर्गत वस्तुओं का वर्गीकरण GST दर निर्धारण का आधार है। किंतु, कई वस्तुओं का वर्गीकरण अस्पष्ट एवं विवादास्पद रहा है, जिससे करदाताओं एवं कर अधिकारियों के बीच विवाद उत्पन्न हुए हैं।

5.3 तुलनात्मक अध्ययन: अन्य देशों के GST मॉडल

कनाडा: कनाडा ने द्वैत GST मॉडल (Federal GST + Provincial GST) अपनाया है, जिसमें संघीय एवं प्रांतीय सरकारें स्वतंत्र रूप से करारोपण करती हैं। यह मॉडल भारत के संघीय ढांचे के समान है, किंतु कनाडा में प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया ने एकीकृत GST मॉडल अपनाया है, जिसमें केवल संघीय सरकार करारोपण करती है एवं राजस्व को राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। यह मॉडल भारत के GST तंत्र के समान है, किंतु ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की भूमिका अधिक सीमित है।

भारत के लिए अनुकूलन: भारत ने इन मॉडलों से सीख लेते हुए एक अनूठा संघीय GST मॉडल विकसित किया है, जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों करारोपण करते हैं एवं GST परिषद के माध्यम से नीति निर्धारण होता है। यह मॉडल भारतीय संवैधानिक संरचना के अनुकूल है, किंतु इसके सुधार हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। 6. न्यायपालिका का दृष्टिकोण: महत्वपूर्ण वाद एवं केस लॉ

6.1 न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 एवं 226 न्यायिक समीक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करते हैं। GST विवादों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों के तहत करदाताओं के अधिकारों की रक्षा की है। न्यायपालिका की भूमिका संघीय संतुलन की रक्षक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

6.2 मोहित मिनरल्स प्रा. लि. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2022)

यह निर्णय GST विधिविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। इस वाद में, मोहित मिनरल्स प्रा. लि. ने GST परिषद द्वारा सिफारिश की गई कर दर को केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किए जाने को चुनौती दी।

तथ्यस्थिति एवं मुद्दे: केंद्र सरकार ने GST परिषद की सिफारिश के बावजूद कुछ वस्तुओं पर भिन्न कर दर लागू की। प्रश्न यह था कि क्या परिषद की सिफारिशें केंद्र एवं राज्यों के लिए बाध्यकारी हैंध्

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी (ठपदकपदह) नहीं हैं, किंतु उन्हें गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्थापना की कि अनुच्छेद 246। के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों की करारोपण शक्ति स्वायत्त है एवं GST परिषद इस स्वायत्तता को समाप्त नहीं कर सकती।

संवैधानिक महत्व: इस निर्णय ने राज्यों की विधायी स्वायत्तता की पुनः पुष्टि की एवं GST परिषद की भूमिका को स्पष्ट किया। यह निर्णय संघीय सहकारी संवाद की भावना के अनुरूप है, किंतु इसने GST प्रणाली की एकरूपता को भी चुनौती दी।

आलोचनात्मक विश्लेषण: निर्णय के सकारात्मक पहलुओं में संवैधानिक स्वायत्तता की रक्षा एवं GST परिषद की भूमिका की स्पष्ट व्याख्या शामिल है। किंतु, नकारात्मक पहलुओं में यह तथ्य है कि इस निर्णय से GST प्रणाली में असंगति एवं विवादों की संख्या बढ़ सकती है।

6.3 अन्य प्रमुख न्यायिक निर्णय

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदीस इंजीनियरिंग वर्क्स (2021): इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांजिशनल क्रेडिट (ज्तंदेपजपवदंस ब्तमकपज) पर विवाद का निराकरण किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि GST के कार्यान्वयन के पूर्व संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को नई प्रणाली में स्थानांतरित किया जा सकता है।

स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2022): इस वाद में GST क्षतिपूर्ति उपकर (ब्वउचमदेंजपवद ब्मे) की वैधता को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उपकर की वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि यह उपकर राज्यों की राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु एक अस्थायी एवं संवैधानिक उपाय है।

फ्लेमिंगो इंडिया बनाम कमिश्नर ऑफ ड GST (2021): इस निर्णय में अंतःराज्यीय बनाम बहिर्मुखी आपूर्ति के वर्गीकरण पर विवाद का निराकरण किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपूर्ति के स्थान एवं गंतव्य के आधार पर कर निर्धारण होना चाहिए।

6.4 न्यायिक रुझान का विश्लेषणात्मक अवलोकन

GST विवादों में न्यायपालिका का रुझान स्पष्ट रूप से दोहरे उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास करता है: एक ओर, करदाताओं के अधिकारों एवं संवैधानिक स्वायत्तता की रक्षाय दूसरी ओर, कर प्रशासन की दक्षता एवं एकरूपता को सुनिश्चित करना। मोहित मिनरल्स निर्णय ने संघीय संतुलन को प्राथमिकता दी, किंतु अन्य निर्णयों में न्यायालय ने कर प्रशासन का समर्थन भी किया है।

भविष्य के लिए न्यायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। GST प्रणाली की जटिलता एवं निरंतर विकसित होती प्रकृति को देखते हुए, न्यायालयों को एक सुसंगत एवं स्पष्ट विधिविज्ञान विकसित करने की आवश्यकता है।

7. निष्कर्ष एवं सुधारात्मक सुझाव

7.1 शोध के प्रमुख निष्कर्ष

इस शोध पत्र का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करता है:

प्रथम, 101वें संविधान संशोधन ने भारतीय कर ढांचे को मौलिक रूप से परिवर्तित किया है। अनुच्छेद 246।, 269। एवं 279। ने एक नए संघीय कर मॉडल की नींव रखी है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच सहवर्ती शक्तियों का संतुलन स्थापित करता है। किंतु, इस संशोधन की सीमा यह है कि इसने राज्यों की पारंपरिक कर स्वायत्तता को सीमित किया है, जिससे संघीय वित्तीय तनाव उत्पन्न हुआ है।

द्वितीय, GST के आर्थिक प्रभाव मिश्रित रहे हैं। एक ओर, “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार” की अवधारणा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया है, कर आधार का विस्तार हुआ है, एवं लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है। दूसरी ओर, डैडम् पर अनुपालन बोझ, मूल्य स्फीति, एवं असंगठित क्षेत्र की कठिनाइयाँ इस प्रणाली की गंभीर कमियाँ हैं।

तृतीय, कार्यान्वयन की विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। GST परिषद की सिफारिशों की विधिक प्रकृति पर विवाद, तकनीकी बाधाएँ, कर अधिकारियों की क्षमता की कमी, एवं वस्तु वर्गीकरण में भ्रम इस प्रणाली की प्रमुख कमजोरियाँ हैं।

चतुर्थ, न्यायपालिका ने GST विवादों में एक संतुलित एवं संवैधानिक भूमिका निभाई है। मोहित मिनरल्स निर्णय ने संघीय स्वायत्तता की रक्षा की, किंतु इसने GST प्रणाली की एकरूपता को भी चुनौती दी। अन्य निर्णयों ने करदाता अधिकारों एवं कर प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

7.2 व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव (Policy Suggestions)

इस शोध के आधार पर निम्नलिखित सात व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

सुझाव 1: GST परिषद की सिफारिशों को विधितः बाध्यकारी बनाने हेतु संवैधानिक संशोधन पर विचार किया जाए। वर्तमान स्थिति में, सिफारिशों की गैर.बाध्यकारी प्रकृति GST प्रणाली में असंगति एवं विवादों को जन्म देती है।

सुझाव 2: डैडमे के लिए सरलीकृत अनुपालन तंत्र एवं डिजिटल सहायता प्रदान की जाए। वर्तमान मासिकध्त्रैमासिक रिटर्न प्रणाली को छोटे व्यवसायों के लिए अत्यधिक जटिल है। एक सरलीकृत रिटर्न फॉर्मेट, न्यूनतम अनुपालन आवश्यकताएँ, एवं मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम डैडमे के लिए अत्यंत सहायक होंगे।

सुझाव 3: GST छ तकनीकी अवसंरचना में निवेश एवं डेटा सुरक्षा मानकों का उन्नयन किया जाए। सर्वर स्थिरता, डेटा सुरक्षा, एवं उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार GST प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। साइबर सुरक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत किया जाए।

सुझाव 4: कर अधिकारियों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं स्वतंत्र अपीलीय तंत्र स्थापित किया जाए। GST की जटिलता को देखते हुए, कर अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण एवं अद्यतन ज्ञान प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, एक स्वतंत्र GST अपीलीय न्यायाधिकार (Appellate Tribunal) की स्थापना करदाताओं के लिए त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करेगी।

सुझाव 5: वस्तु वर्गीकरण (HSN Codes) में स्पष्टता एवं एकरूपता स्थापित की जाए। वर्तमान भ्रम एवं असंगत व्याख्याओं को दूर करने हेतु, एक स्वतंत्र वर्गीकरण समिति का गठन किया जाए, जो वस्तुओं के HSN कोड निर्धारण में स्पष्ट एवं सुसंगत मानदंड अपनाए।

सुझाव 6: राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की रक्षा हेतु स्थायी कर.साझाकरण तंत्र विकसित किया जाए। GST क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति के पश्चात, राज्यों की राजस्व हानि की पूर्ति हेतु एक स्थायी एवं पूर्वानुमेय तंत्र की आवश्यकता है। यह तंत्र संघीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा।

सुझाव 7: अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकूलन एवं भारत.विशिष्ट सुधार किए जाएँ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के GST मॉडलों से सीख लेते हुए, भारतीय संदर्भ के अनुकूल सुधार किए जाएँ। इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर, पर्यावरण.अनुकूल कर दरें, एवं करदाता शिक्षा कार्यक्रम शामिल होने चाहिए।

7.3 शोध की सीमाएँ एवं भविष्य के शोध की दिशाएँ

इस शोध पत्र की मुख्य सीमा यह है कि यह प्राथमिक डेटा (करदाता साक्षात्कार, आर्थिक सर्वेक्षण, एवं प्रशासनिक अध्ययन) पर आधारित नहीं है। भविष्य के शोध में निम्नलिखित दिशाओं पर कार्य किया जा सकता है:

. अनुभवजन्य अध्ययन (Empirical Study) के माध्यम से GST के आर्थिक प्रभावों का मात्रात्मक विश्लेषणय
. तुलनात्मक संवैधानिक विश्लेषण: भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं EU के GST /VAT मॉडलों की तुलनाय
. कर प्रशासन एवं प्रौद्योगिकी: AI एवं Blockchain का GST अनुपालन में उपयोगय
. संघीय वित्त एवं राजस्व वितरण: GST के पश्चात केंद्र.राज्य वित्तीय संबंधों का अध्ययन।

7.4 अंतिम टिप्पणी

“कर प्रणाली का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रहण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय की स्थापना है।” यह सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग.प्ट (राज्य के नीति निदेशक तत्व) एवं GST की मूल भावना के अनुरूप है। GST एक यात्रा है, गंतव्य नहीं कृ इसका सफल कार्यान्वयन निरंतर सुधार, संघीय सहयोग, एवं करदाता विश्वास पर निर्भर करता है।

भारत के “संघीय सहकारी संवाद” (Cooperative Federalism) के मूल्यों के अनुरूप, GST प्रणाली को एक ऐसा मंच बनना चाहिए जहाँ केंद्र एवं राज्य मिलकर कर नीति निर्धारित करें, करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करें, एवं राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करें। मोहित मिनरल्स निर्णय ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, किंतु अभी और मार्ग तय करना शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)

- भारतीय संविधान कृ अनुच्छेद 246 ।, 269 ।, 279 ।
- 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
- C GST Act, 2017; S GST Act, 2017; I GST Act, 2017; UT GST Act, 2017
- GST परिषद की अधिसूचनाएँ एवं सिफारिशें

न्यायिक निर्णय (Case Law)

- मोहित मिनरल्स प्रा. लि. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2022) 7 SCC 1
- यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदीस इंजीनियरिंग वर्क्स, (2021) 12 SCC 213
- स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2022) 4 SCC 589
- फ्लेमिंगो इंडिया बनाम कमिश्नर ऑफ ह GST , (2021) 8 SCC 312

माध्यमिक स्रोत (Secondary Sources)

- विधि आयोग ऑफ इंडिया, “ GST एवं संघीय वित्त: एक विधिक विश्लेषण," (2018)
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022.23, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- रॉय, अमित, “ GST इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया: चैलेंजेस एंड ऑपर्चुनिटीज,” (2020) 42(3) JILI 112
- सिंह, राजेश, “द जीएसटी रिजिम: अ क्रिटिकल रिव्यू,” (2021) 12 NLUJ L. Rev. 78
- शर्मा, प्रिया, “संघीय वित्त एवं जीएसटी परिषद,” (2019) 28 SCC (Jour) 1

अंतर्राष्ट्रीय स्रोत (International Sources)

- OECD, "Consumption Tax Trends 2022: GST/VAT and Excise Rates," (2022)
- IMF Working Paper, "Goods and Services Tax: An Empirical Analysis," (2021)
- World Bank Report, "Ease of Doing Business: India's GST Reform," (2020)

अनुबंध

अनुबंध A: 101वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान

- अनुच्छेद 246 ।: वस्तु एवं सेवा कर पर केंद्र एवं राज्यों की सहवर्ती शक्ति
- अनुच्छेद 269 ।: अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर ᴸGST का संग्रहण एवं वितरण
- अनुच्छेद 279 ।: GST परिषद का गठन एवं कार्य

- सातवीं अनुसूची में संशोधन: कर शक्तियों का पुनर्वितरण

अनुबंध ठ: GST परिषद की प्रमुख बैठकें

- प्रथम बैठक (सितंबर 2016): कर दरों का प्रारंभिक निर्धारण
- 22वीं बैठक (सितंबर 2017)के लिए सरलीकरण
- 45वीं बैठक (जुलाई 2021): क्षतिपूर्ति उपकर का विस्तार
- 48वीं बैठक (दिसंबर 2022): कर दरों में संशोधन

अनुबंध C: प्रमुख न्यायिक निर्णयों की कालक्रम तालिका

क्रम	**वादन नाम**	**वर्ष**	**मुख्य मुद्दा**
1	मोहित मिनरल्स बनाम भारत संघ	2022	परिषद सिफारिशें गैर.बाध्यकारी
2	मदीस इंजीनियरिंग वर्क्स	2021	ट्रांजिशनल क्रेडिट
3	स्टेट ऑफ WB बनाम भारत संघ	2022	GST Compensation Cess
4	फ्लेमिंगो इंडिया	2021	अंतःराज्यीय वर्गीकरण

अनुबंध D: GST कार्यान्वयन के पूर्व एवं पश्चात आर्थिक संकेतक

संकेतक	**2016-17 (पूर्व)**	**2022-23 (पश्चात)**
मासिक GST राजस्व	—	₹1.5 लाख करोड़+
पंजीकृत करदाता	—	1.4 करोड़+
लॉजिस्टिक्स लागत (% GDP)	14%	8-10%
MSMEs की संख्या	6.3 करोड़	5.8 करोड़

Declaration by Author (s): *"We hereby declare that this manuscript is our original work, free from plagiarism, and that all sources and any use of Artificial Intelligence tools for content generation or editing have been fully disclosed and verified for accuracy."* **चन्द्र भान** एवं **डॉ. अमित चौधरी**